राजस्थान सरकार
वन विभाग
(5ए भोजपुरा पदमपुर रोड श्रीगंगानगर)
कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर
Email ID dcf.gan.forest@rajasthan.gov.in & dcf.raj.sgnr@gmail.com Phone & Fax No 0154-2472339

क्रमांकः–एफ ( )सर्वे/उवसं/2022–23/ 5983 दिनांक : 07/09/22

निमित्त,

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
जयपुर।

विषय :– तहसील सूरतगढ़, गांव 2 डीओ–वी के मुरब्बा नु0 19, पत्थर नं. 4/37, किला नं0 23 मे पत्थर नं0 46–47 (चैनेज : 46/002– 46/037) जिला श्रीगंगानगर मे रूपान्तरित भूमि में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प पर आवागमन हेतु सम्पर्क सडक निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत।

Proposal No. (FP/RJ/ROAD/140718/2021)

संदर्भ :– राजस्थान सरकार का पत्रांक प.1(19)वन/2022 जयपुर दिनांक 14.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में निम्न शर्तो की पालना प्रयोक्ता एजेन्सी से अपेक्षित की गई है। अतः राज्य सरकार की उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति दो (2) वृक्षो के पतन सहित निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान करती है :–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर ट्री गाई लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (Seprate Island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने मे किया जाएगा। यह वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूष नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो के पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृखो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या मे वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों

को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी।

12 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी)की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा की जायेगी। जिसके उपरांत ई–चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जावेगा।

13 प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगं कि राक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की राशि की बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।

14 राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय,वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

15 भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियॉं स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

16 पातन किये जाने वाले 2 वृक्षो का मूल्य राशि रू. 3957/– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर के नाम से डी.डी. या चैक के माध्यम से जमा की जायेगी।

17 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षो के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि 103600/– रू. जरिये ई–चालान जमा करावें।

18 डायवर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि 0.1262 हैक्टर हेतु 6.70140 लाख प्रति हैक्टर की दर से राशि 84572/– रूपये जमा करावें।

19 उपरोक्त बिन्दु संख्या 17, एवं 18 की कुल निधियां 188172/– रू. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि कैम्पा मद में **वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान** द्वारा जमा की जायेगी।

कृपया उपरोक्त सभी शर्तो की पालना कर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :– सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति ।

भवदीय

(एस. के. आबुसरिया) IFS
उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर

क्रमांक :– सम/ दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
3. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।

उप वन संरक्षक,
श्रीगंगानगर